संख्या15 68/उन्तीस (2)/07-2(74पे0)/2007

प्रेषक,

टीकम सिंह पँवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक25 अक्टूबर, 2007

विषय :- ग्रामीण क्षेत्रों हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था हेतु टैंकरों द्वारा जलापूर्ति कार्यो हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 1295/अप्रेजल-3/पे0यो0सामा0/2007-08 दिनांक 06.06.2007 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 में ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था हेतु टैंकरों द्वारा जलापूर्ति कार्यो हेतु जनपदवार उपलब्ध कराये गये रू0 98.41 लाख के प्राक्कलन पर टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त ग्रामीण क्षेत्रों हेतु औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 61.32 लाख के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि शासन को प्राप्त सूचनानुसार भुगतान हेतु रू0 42.68 लाख (रूपये बियालिस लाख अड़सठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि
01	02	04
01	देहरादून	11.0000
02	पौड़ी	1.6200
03	टिहरी	18.3600
04	उत्तरकाशी	0.6120
05	नैनीताल	5.5800
06	अल्मोड़ा	3.6000
07	पिथौरागढ़	1.3000
08	चम्पावत	0.6120
	योग	**42.6840**
	Say	**42.68**

........2

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून के कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एव महालेखाकार को तत्काल उपलब्ध कराई जाय।

3. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

4. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

8. टैकरों द्वारा जलापूर्ति का भुगतान वास्तवित दूरी के अनुसार लाग बुक से सत्यापित करने के उपरान्त किया जाय।

9. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10. योजना को स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा तथा किसी भी दशा में पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकार नही होगा।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 31.03.2008 तक शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

12. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति-आयोजनागत-102-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-03-ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 511 ए/XXVII (2)/2007 दिनांक 09 अक्टूबर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(टीकम सिंह पँवार)
संयुक्त सचिव

संख्या /508/उन्तीस (2)/07–2(74पे0)/2007 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/वित्त (बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ।
7. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. स्टाफ आफीसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव